न्यायालय सहायक कलेक्टर (उपखण्ड अधिकारी) चितलवाना

पीठासीन अधिकारी – श्री हनुमानाराम आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :– 398/2014

वादी		प्रतिवादीगण
जगला वल्द हमीराजी जाति विश्नोई साकिन मालवाडा तहसील चितलवाना जिला सांचोर (राज.)	बनाम	01– भागचंद वल्द हमीरा 02– सुरता वल्द लाखा 03– बुधा वल्द लाखा 04– शंकरा वल्द लाखा 05– रूपा वल्द हमीरा 06– चेना वल्द हमीरा 07– जीया वल्द हमीरा 08– वगता वल्द ईसरा 09– धीमाराम वल्द प्रेमाराम 10– पूनमाराम वल्द प्रेमाराम 11– जेराम वल्द प्रेमाराम 12– जांवता वल्द जोधाराम 13– मोहनलाल वल्द जोधाराम 14– भागीरथ वल्द जोधाराम जातियान विश्नोई निवासीयांन मालवाडा तहसील चितलवाना जिला सांचोर (राज.) 15– तहसीलदार चितलवाना जिला सांचोर (राज.)

न्यायालय सहायक कलेक्टर
सत्यमेव जयते
चितलवाना जिला जालोर

दावा बाबत् इस्तकरारहक एवं स्थाई निषेधाज्ञा
दावा अन्तर्गत धारा 88, 188 आर.टी.एक्ट

Signature Not Verified

Digitally signed by Hanumana Ram
Date: 2024.03.21 15:56:35 IST
Reason: SelfAttested

उपस्थिति :–

1– वादी वकील श्री भगवती प्रसाद गोयल उपस्थित।
2– प्रतिवादी संख्या 01 ता 14 एक पक्षीय।
3– प्रतिवादी संख्या 15 की ओर से राज पेरोकार उपस्थित।

सहायक कलेक्टर–चितलवाना
(उपखण्ड अधिकारी–चितलवाना)

निर्णय दिनांक 04.08.2023

01– वादी द्वारा प्रस्तुत वाद के संक्षिप्त में तथ्य निम्न प्रकार है कि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 01 ता 14 स्वर्गीय गुलाबा वल्द लक्ष्मणाजी जाति बिश्नोई निवासी मालवाडा के जायन्दा औलाद है, गुलाबा प्रथम सेटलमेंट से पूर्व फौत हो गये, उनके पीछे 03 लडके हमीरा, ईशरा, जोधा पि. गुलाबा थे, इन तीनों के नाम मौजा रणोदर में पुराना खेत खसरा संख्या 303 रकबा 36 बीघा 13 बीस्वा की आयी हुई है, जिसका पट्टा हमीरा, ईशरा व जोधा के नाम जारी हुआ था, इस प्रकर मौजा रणोदर व मालवाडा में हमारे पिता हमीरा का 1/3 हिस्सा का आया हुआ है, उक्त जमीन में से हाईवें नम्बर 15 निकल जाने से भूमि कम हो गई जिसके नम्बर 892 रकबा 2.02 हैक्टर भूमि वर्तमान में रही हमारा भाई लाखा फौत हो गया है, उनके पीछे प्रतिवादी संख्या 02 ता 04 है हमारे पिता हमीरा का स्वर्गवास संवत् 2013 में हो या जिसके पीछे हम 06 भाई थे, भागचंद, लाखा, रूपा, चेना, जींया व मैं वादी जगला जायन्दा उत्तराधिकारी थे, जिसमें मौजा मालवाडा में हमारे 06 भाईयों का नामान्तरकरण भरा गया जबकि मौजा रणोदर में पुराना खेत खसरा संख्या 303 के नये नम्बर 892 रकबा 2.02 हैक्टर में मुझ वादी का नाम छोड दिया केवल मात्र भागचंद, लाखा, रूपा, चेना, जींया का ही नामान्तरकरण भरा गया तथा मुझ वादी का नाम गलती से पीछे रह गया जबकि मौके पर मेरे हिस्से की जमीन पर मैं काश्त करता हूं। दिनांक 10–05–2011 के रोज मेरी खातेदारी जमीन मौजा रणोदर पर ऋण लेने के लिए पटवारी के पास नकल लेने गया तो पटवारी ने कहा कि जमाबंदी में तुम्हारा नाम नहीं है जिस पर मैं घर आया तथा प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 08 को बुलाकर कहा कि रणोदर की जमीन में नाम छूट गया है, मेरे साथ चलकर मेरे नाम बयान करो तब उन्होने बयान करने का कहा मैं विश्वास पर बैठ गया किन्तु अंत में प्रतिवादी संख्या 01 ता 08 ने आनाकानी की तब गांव के मुखियांन लोगो को इकठ्ठा किया तो वह बयान करने से मूकर गये, जिस पर दावा हाजा पेश करता हूं।

अंत में वादी ने अपनी इस्तदुआ में मौजा रणोदर के खसरा नम्बर 892 रकबा 2.02 हैटर भूमि में 1/18 हिस्से की खातेदारी व स्थाई निषेधाज्ञा चाही गई, वादी की ओर से दिनांक 07–06–2011 को वाद प्रस्तुत करने पर बाद कार्यालय टिप्पणी वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को सम्मन तलब किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Hanumana Ram
Date: 2024.03.21 15:56:35 IST
Reason: SelfAttested

यह है कि प्रतिवादी संख्या 01 ता 07 की ओर से ईकबाली जवाब पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया। प्रतिवादी संख्या 08, 12, 14 की ओर से ईकबाली जवाब पेश किया तथा प्रतिवादी संख्या 09, 10, 11, 13 बाद तामील सम्मन गैरहाजिर रहने पर उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गई,

सहायक कलेक्टर–चितलवाना
(उपखण्ड अधिकारी–चितलवाना)

श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय के आदेश कमांक 458–469 दिनांक 02–06–2014 की पालना में पत्रावली इस न्यायालय को हस्तान्तरित की गई, प्रतिवादी संख्या 15 राज पेरोकार ने उपस्थित होकर जवाब पेश कर निवेदन किया कि वादी का नाम रेकर्ड में दर्ज होने से शेष रहना बताया है यदि वादी का नाम दर्ज किया जाता है तो सरकार के हितो पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पडेगा। प्रकरण में प्रतिवादीगण द्वारा वाद का प्रतिकार नहीं करने से पत्रावली वास्ते शहादत वादी में ली गई, वादी की ओर से गवाह पी.डब्ल्यू 01 वादी जगला, पी.डब्लयू 02 भेराराम के बयान कलमबद्ध किये गये, गवाह वादी पी.डब्ल्यू 01 ने साक्ष्य शपथ पत्र पेश कर मिलान क्षेत्रफल ई.एक्स.पी. 01, खतौनी बंदोबस्त ई.एक्स.पी. 02, आधार जमाबंदी ई.एक्स.पी. 03, जमाबंदी ई.एक्स.पी. 04, जमाबंदी ई.एक्स.पी. 05 प्रदर्शित करवायें गये।

मैनें वकील वादी की बहस सुनी, पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य सबूतो का भलीभांति अध्ययन एवं अवलोकन किया तथा वकील वादी ने अपनी बहस में वाद के तथ्यों को दोहराते हुयें निवेदन किया कि वादी जगला मृतक हमीरा वल्द गुलाबा का जायन्दा पुत्र है तथा ग्राम मालवाडा व रणोदर में वादी की पैतृक सम्पति के खातेदारी के खेत आयें हुयें है जिसमें मौजा मालवाडा की आराजी में वादी के नाम खातेदारी दर्ज की गई किन्तु ग्राम रणोदर की खातेदारी के खेत खसरा संख्या 892 रकबा 2.02 हैक्टर भूमि में वादी को इसके हिस्से की खातेदारी से वंचित कर दिया गया है तथा वाद को 1/18 हिस्से की खातेदारी घोषित की जावें।

आया प्रकरण में विचारणीय बिन्दू यह है कि जगला वल्द हमीरा जाति बिश्नोई निवासी मालवाडा जो हमीरा पुत्र गुलाबा का जायन्दा पुत्र है यदि हां तो मौजा रणोदर के खेत खसरा संख्या 892 रकबा 2.02 हैक्टर भूमि में 1/18 हिस्से की खातेदारी पाने का अधिकारी है ?

यह है कि वादी द्वारा प्रस्तुत वाद में पेश वंशावली से यह स्पष्ट है कि मृतक हमीरा वल्द गुलाबा के कुल 06 पुत्रगण क्रमंश वादी जगला प्रतिवादीगण भागचंद, लाखा, रूपा, चेना, जींवा है, जिसकी पुष्टि जमाबंदी ग्राम मालवाडा प्रदर्श 05 संवत् 2063–66 से होती है, इस प्रकार उक्त जमाबंदी में भी मृतक हमीरा के 05 पुत्रगण क्रमंश भागचंद, रूपा, चेना, जींवा, [illegible] मृतक लाखा के उत्तराधिकारी सुरताराम, बुधाराम, शंकरलाल [illegible] उक्त आराजी पैतृक सम्पति होना वादी द्वारा प्रस्तुत प्रदर्श 02 खतौनी [illegible] 2012–31 ग्राम रणोदर से भी स्पष्ट है। जिसमें पूर्व में उक्त आराजी वादी के स्वर्गीय पिता हमीरा के नाम दर्ज होना साबित है। किन्तु आधार जमाबंदी प्रदर्श 03 ग्राम रणोदर में मात्र भागचंद, लाखा, रूपा, चेना, जींवा का नाम ही दर्ज है। इससे भी स्पष्ट

Signature Not Verified
Digitally signed by Hanumana Ram
Date: 2024.03.21 15:56:35 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर–चितलवाना
(उपखण्ड अधिकारी–चितलवाना)

जाहिर होता है कि ग्राम रणोदर के खसरा संख्या 892 रकबा 2.02 हैक्टर भूमि जो वादी की पुश्तैनी होते हुयें वादी का नाम खातेदारी से वंचित रखा गया है जबकि ग्राम मालवाडा की खातेदारी आराजी में वादी का नाम दर्ज है तथा वाद में प्रतिवादींगण द्वारा प्रस्तुत ईकबाली जवाब से यह स्पष्ट होता है कि वादी जगला स्वर्गीय हमीरा वल्द गुलाबा का पुत्र है। इस प्रकार उपरोक्तानुसार वादी जगला जो मृतक हमीरा वल्द गुलाबा का जायन्दा पुत्र होने से तथा ग्राम रणोदर के खेत खसरा संख्या 892 रकब 2.02 हैक्टर भूमि वादी जगला की पैतृक सम्पति होने साबित होने से वादी का वाद स्वीकार योग्य है।

आदेश

वादी का वाद स्वीकार किया जाता है तथा मौजा रणोदर के खेत खसरास ंख्या 892 रकंबा 2.02 हैक्टर भूमि में वादी जगला पुत्र हमीरा जाति बिश्नोई निवासी मालवाडा को 1/18 हिस्सा का खातेदार घोषित कर, 1/18 हिस्से की खातेदारी घोषित की जाती है। तद्नुसार डिकी पर्चा जारी हो। खर्चा हर्जा फरिकेन अपना अपना वहन करे।

(हनुमानाराम)
सहायक कलेक्टर चितलवाना
सहायक कलेक्टर–चितलवाना
(उपखण्ड अधिकारी–चितलवाना)

निर्णय आज दिनांक 04.08.2023 को मेरे द्वारा न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर
चितलवाना
सहायक कलेक्टर–चितलवाना
(उपखण्ड अधिकारी–चितलवाना)

Signature Not Verified

Digitally signed by Hanumana Ram
Date: 2024.03.21 15:56:35 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री व मुकदमें इब्तदाई
(आर्डर 20,रूल 6–7,जाब्ता दीवानी)

(civil procedure code,Appendix "D"-1)

अज अदालत सहायक कलेक्टर (उपखण्ड अधिकारी) मुकाम चितलवाना इजलास
श्री हनुमानाराम आर0ए0एस0

वादी		प्रतिवादीगण
जगला वल्द हमीराजी जाति विश्नोई साकिन मालवाडा तहसील चितलवाना जिला सांचोर (राज.)	बनाम	01– भागचंद वल्द हमीरा 02– सुरता वल्द लाखा 03– बुधा वल्द लाखा 04– शंकरा वल्द लाखा 05– रूपा वल्द हमीरा 06– चेना वल्द हमीरा 07– जीया वल्द हमीरा 08– वगता वल्द ईसरा 09– धीमाराम वल्द प्रेमाराम 10– पूनमाराम वल्द प्रेमाराम 11– जेराम वल्द प्रेमाराम 12– जांवता वल्द जोधाराम 13– मोहनलाल वल्द जोधाराम 14– भागीरथ वल्द जोधाराम जातियान विश्नोई निवासीयांन मालवाडा तहसील चितलवाना जिला सांचोर (राज.) 15– तहसीलदार चितलवाना जिला सांचोर (राज.)

दावा अन्तर्गत धारा 88, 188 आर.टी.एक्ट 1955

राजस्व वाद संख्या :– 398

Signature Not Verified
Digitally signed by Hanumana Ram
Date: 2024.03.21 15:56:35 IST
Reason: SelfAttested

यह मुकदमा आज इनफिसाल कतई रू–ब–रू [illegible] व हाजरी वकील श्री भगवतीप्रसाद बालौत मिनजानिव मुदई प्रतिवादी संख्या 15 की ओर से राज पेरोकार नायब तहसीलदार चितलवाना एवं प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 14 एक पक्षीय मनजानिव मुद्दायलह पेश होकर, हुक्म दिया जाता है कि :– वादी का वाद

सहायक कलेक्टर–चितलवाना
(उपखण्ड अधिकारी–चितलवाना)

स्वीकार किया जाता है तथा मौजा रणोदर के खेत खसरासंख्या 892 रकबा 2.02 हैक्टर भूमि में वादी जगला पुत्र हमीरा जाति बिश्नोई निवासी मालवाडा को 1/18 हिस्सा का खातेदार घोषित कर, 1/18 हिस्से की खातेदारी घोषित की जाती है। पक्षकारान अपना अपना खर्चा वहन करे। मौजा रणोदर मुवलिंग –.बाबत्– खर्चा इस मुकदमें के मय सूद व भरह –फीसदी – सालान आज की तारीख से तारीख वसूलयावी तक–की अदा कर।

बशर्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज तारीख ५.8.2023 को जारी की गई।

मोहर

(हनुमानाराम)
सहायक कलेक्टर चितलवाना
सहायक कलेक्टर–चितलवाना
(उपखण्ड अधिकारी–चितलवाना)

मुदई	रूपया	पै0	मुद्दायलाह	रूपया	पै0
स्टाम्प अरजीदावा	01	0	स्टाम्प वकालतनामा	01	00
स्टाम्प वकालातनामा	03	0	स्टाम्प अर्जी	01	0
स्टाम्प वजह सबूय	0	0	महनताना वकील	-	-
महनताना वकील	–	–	खर्चा गवाहान	–	–
खर्चा गवाहान	–	–	फीस कमीष्नर	–	-
फीस कमीष्नर	–	-	बाबत् इजराय हुक्मनामा	–	-
बाबत् इजराय हुक्मनामा	–	-	मुतफरीक	–	–
मुतफरिक –	-	-			
मौजाना	–	-	मौजाना	-	-

नोट :– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर की फरीकेन का, चाहे डिक्री के जरिये दिलाया गया हो या नहीं, दर्ज करना चाहिये।

सहायक कलेक्टर–चितलवाना
(उपखण्ड अधिकारी–चितलवाना)

Signature Not Verified

Digitally signed by Hanumana Ram
Date: 2024.03.21 15:56:35 IST
Reason: SelfAttested